न्यायालयः-अमनदीप सिंह छाबडाळ

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

<u>दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 342 / 12</u> <u>संस्थित दिनांक 20.04.2012</u> फा.नंबर—234503003022012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, मलाजखंड जिला बालाघाट (म.प्र.)

.....अभियोजन।

विरुद्ध

- 1.अमरसिंह पिता सुखलाल परते, उम्र-30 साल, जाति बैगा,
- 2.पुनूलाल पिता बंषीलाल उइके, उम्र—22 साल, जाति ढीमर, दोनों निवासी बाहीटोला(टिंगीपुर) थाना मलाजखंड, जिला बालाघाट म0प्र0।अभियुक्तगण।

-:: निर्णय ::-

-:: दिनांक **24.11..2017** को घोषित::-

01— आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—379/34, 286 के तहत यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 8—9.04.2012 की मध्य रात को जमुनिया नदी कछार ग्राम कटंगी थानांतर्गत मलाजखंड में एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी संभुसिंह का एक नग फील्ड मार्शल कंपनी का पीले रंग का वाटर पम्प, इंजन नंबर ई.डी.4098 तीन हार्स पावर का कीमत करीब 20,000/— रुपये को फरियादी की सम्मति के बिना बेईमानी से ले जाने के आशय से हटाकर चोरी कारित किया।

02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी शंभुसिंह ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह उसके खेत कछार नदी के किनारे अपने वाटर पम्प लगाकर सब्जी—भाजी को पानी पलाता था, जो दिनांक 09.04.2012 को शाम करीब 08:00 बजे घर खाना खाने चला गया था। रात

को आकर सो गया था, सुबह उठकर देखा तो वाटर पम्प नहीं दिखा, तब उसने अपने भाई महादेव व पड़ौस खेत के दयाराम को बताया था। उक्त वाटर पंप का इंजन नंबर ई.डी.4098 फील्ड मार्षल कंपनी का एफ.एम. 70.एच.एस.पी.एम. डीजल कंपनी राजकोट है, जो उसे शासकीय योजना के अंतर्गत मिला था, की तलाश पतासाजी करने पर पुन्नुलाल व अमरसिंह के उपर संदेह होने से थाना लाकर पूछताछ की गई, जिसमें उनके द्वारा जुर्म करना स्वीकार किया गया। तत्पश्चात आरोपीगण के विरुद्ध अपराध कमांक 51/12 धारा—379, 34 भा0दं०सं० पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घटनास्थल का नजरी—नक्शा बनाया गया। प्रार्थी शंभुसिंह एवं गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गए। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत यह अभियोग पत्र 44/12 तैयार किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03— अभियुक्तगण ने आरोपित अपराध किया जाना अस्वीकार किया है। अभियुक्तगण का विचारण किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन साक्षियों द्वारा प्रकट किये गये तथ्य एवं परिस्थितियों को अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण कथन अंतर्गत धारा 313 जा०फौ० में अस्वीकार किया है। अभियुक्तगण ने बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।
- 04— प्रकरण के निराकरण हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:—
- 1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 8—9.04.2012 की मध्य रात को जमुनिया नदी कछार ग्राम कटंगी थानांतर्गत मलाजखंड में एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी संभुसिंह का एक नग फील्ड मार्शल कंपनी का पीले रंग का वाटर पम्प, इंजन नंबर ई.डी.4098 तीन हार्स पावर

का कीमत करीब 20,000/— रुपये को फरियादी की सम्मति के बिना बेईमानी से ले जाने के आशय से हटाकर चोरी कारित किया ?

-:सकारण निष्कर्षः

- 05— साक्षी शंभुसिंह अ.सा.—01 ने कहा है कि वह आरोपीगण को पहचानता है। घटना उसके खेत के पास नदी की है। खेत में लगी विद्युत मोटर तीन हॉर्स पावर नदी में से चोरी हो गई थी। उक्त चोरी रात को सोते समय किसी अज्ञात व्यक्ति ने की थी। उसने घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन सुबह पुलिस थाना मलाजखंड में लिखाई थी। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर पूछताछ की थी और घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.02 बनाया था। उसे घटना के लगभग चार दिन बाद पुलिसवालों ने थाना बुलाया था और जानकारी दी थी कि चोरी की मोटर पकड़ाई है। उसने अपनी मोटर की थाने में पहचान की थी। बाद में उसे अपनी मोटर न्यायालय से सुपुर्दनामें में प्राप्त हुई थी।
- 06— साक्षी शंभुसिंह अ.सा.—01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को रिपोर्ट पम्प चोरी की लिखाया था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि पुलिस को रिपोर्ट करते समय पम्प का नंबर नहीं बताया था तथा रिपोर्ट लिखाते समय पम्प कितने हार्स पावर का था नहीं बताया था। यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ कर घटनास्थल का मौका नक्शा थाने में बनाया था। यह अस्वीकार किया है कि मौका नक्शा प्र.पी.02 पर उसने अपना अंगुटा निशान थाने में लगाया था। यह स्वीकार किया है कि प्र.पी.01 की रिपोर्ट उसे पुलिसवालों ने पढ़कर नहीं सुनाये थे। यह भी स्वीकार किया है कि उसने चोरी होते हुए नहीं देखा था, इसलिये यह नहीं बता सकता कि चोरी किस व्यक्ति ने किया

ALIANDI PAR

था। यह अस्वीकार किया है कि उसकी कोई मोटर चोरी नहीं हुई थी और उसने झूठी रिपोर्ट लिखाया था।

- कुंवरसिंह अ0सा0-02 ने कहा है कि वह आरोपीगण एवं प्रार्थी 07-शंभुसिंह को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो वर्ष पूर्व की है। शंभुसिंह उसे घर पर बताने आया था कि उसके घर का पंप चोरी हो गया है, फिर उसे लेकर थाना गया था। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट लेख कर कार्यवाही की थी। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। पुलिस को अमरसिंह ने उसके सामने कोई मेमोरेन्डम कथन नहीं दिया था। मेमोरेन्डम कथन प्र.पी.03 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने आरोपी पुन्नूलाल से कोई पूछताछ पुलिस ने नहीं की थी। पुन्नूलाल ने उसके सामने कोई मेमोरेन्डम कथन नहीं दिया था। मेमोरेन्डम कथन प्र.पी.04 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी अमरसिंह से कोई जप्ती नहीं की थी, जप्ती पत्रक प्र.पी.05 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने आरोपीगण को थाने में बैठालकर रखा था। उसके सामने पुलिस ने आरोपीगण को गिरफ्तार किये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की थी। गिरफतारी पंचनामा प्र.पी.06 एवं 07 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 08— कुंवरसिंह अ०सा०—02 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि जब वह शंभुसिंह के साथ थाना मलाजखंड गया था तो आरोपीगण थाने के अंदर बैठे थे। यह स्वीकार किया है कि पुलिस वाले आरोपीगण से पूछताछ कर रहे थे। यह अस्वीकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी अमरसिंह ने पुलिस को यह बताया था कि उसने पुन्नूलाल के साथ मिलकर शंभु के कछार बाड़ी में रखे मौटर पंप को चोरी कर कन्हैया मेरावी के घर के पीछे जंगल में छिपाकर बेचने हेतु रखे हैं। यह

अस्वीकार किया है कि आरोपी पुन्नूलाल ने पुलिस के पूछताछ के दौरान यह बताया था कि दिनांक 08.04.2012 की रात को करीब 08:00 बजे शंभु के घर खाना खाने के बाद उसके कछार बाड़ी में रखे वाटर पंप को चोरी कर बड़गांव में कन्हैया मेरावी के धर के पीछे जंगल में छिपाकर रखा है। यह अस्वीकार किया है कि आरोपी अमरसिंह के द्वारा जंगल से निकालकर देने पर एक वाटर पंप जप्ती पत्रक प्र.पी.05 के अनुसार पुलिस ने उसके समक्ष जप्त किया था। यह अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण की गिरफ्तारी की कार्यवाही की थी। वह कक्षा तीसरी तक पढ़ा है एवं जयसिंह टोला का कोटवार है। यह स्वीकार किया है कि वह शासकीय कर्मचारी होने के नाते यह जानता है कि किन दस्तावेजों में हस्ताक्षर करना चाहिए। यह अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्र.पी.03 से लगायत प्र.पी.07 के दस्तावेजों में इसलिये हस्ताक्षर किया था कि उसके समक्ष विधिवत कार्यवाही हुई थी। यह अस्वीकार किया है कि वह आरोपीगण से मिल गया है, इसलिये आज न्यायालय में जानबूझकर झूठे कथन कर रहा है। कुंवरसिंह अ0सा0–02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि मेमोरेन्डम, संपत्ति जप्ती पत्रक एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी03 से लगायत प्र.पी. 07 के समस्त दस्तावेजों पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिया था तथा आरोपीगण से पुलिसवाले थाने में बैठालकर किस संबंध में बात कर रहे थे नहीं बता सकता।

09— साक्षी कन्हैयालाल अ०सा०—03 ने कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो—तीन साल पहले की है। घटना दिनांक को आरोपीगण उसके गांव आये थे और उससे पूछ रहे थे कि मशीन खरीदोगे क्या, तब उसने मशीन खरीदने से मना किया था। उसके घर के पीछे जंगल से आरोपी पुनुलाल ने एक तीन हॉर्स पावर

का मोटर पम्प पुलिस वाले को निकाल कर दिया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है, आरोपीगण उसके घर शराब पीने नहीं आये थे तथा पम्प खरीदेगा क्या, वाली बात भी नहीं बोले थे, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि पुलिसवालों ने उसके घर के पीछे जंगल से मोटर पम्प नहीं निकाले थे। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वाटर पम्प को निकालते हुए पुलिसवालों को उसने नहीं देखा था तथा पम्प किस कलर का था, वह नहीं बता सकता, उक्त वाटर पम्प किसने कहां से लाया था वह नहीं बता सकता तथा पुलिसवालों ने उक्त घटना के संबंध में उससे कोई कथन नहीं लिये थे।

- 10— साक्षी महादेव अ.सा.04 ने कहा है कि वह आरोपीगण को पहचानता है। शम्भूसिंह उसका बड़ा भाई है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो साल पहले की है। शम्भूसिंह ने उसे घर पर बुलाकर बताया था कि एक पानी पम्प कछार में रखा था, जो चोरी हो गया था। फिर वह अपने भाई के साथ मलाजखंड थाना गया था, जब वे रिपोर्ट लिखाने गये, तब आरोपीगण वहां पर उपस्थित थे। पुलिस ने उसके सामने आरोपीगण से कोई पूछताछ नहीं की थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे।
- 11— साक्षी महादेव अ.सा.04 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि शंभू का कछार में लगा एक जनरेटर पीले रंग का चोरी हो गया है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि आरोपीगण ने पुलिसवालों को उसके समक्ष पूछताछ के दौरान बताया था कि उन्होंने शम्भू के कछार से एक पीले रंग का जनरेटर ले जाकर कन्हैया के

घर के पीछे जंगल में छुपाकर रखे हैं। यह अस्वीकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी अमरसिंह ने जंगल से जनरेटर निकालकर दिया था तथा उसने पुलिस को प्रदर्श पी—8 का कथन दिया था। यह अस्वीकार किया है कि अमरसिंह के निकालकर देने पर पुलिस ने उसके समक्ष जप्ती पत्रक प्र.पी.5 के अनुसार एक पम्प जप्त किया था। यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की कार्यवाही की थी। यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे कार्यवाही किये जाने के दौरान दस्तावेजों पर अंगुड़ा निषान लिये थे। यह अस्वीकार किया है कि वह आरोपीगण को बचाने के लिए झूटा कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपीगण उसके पड़ौसी है, इस कारण उन्हें पहचानता है, वह पम्प का क्रमांक कंपनी और कलर नहीं बता सकता, उसके समक्ष पुलिसवालों ने आरोपीगण से पम्प चोरी के संबंध में कोई बात नहीं पूछे थे, उसके समक्ष पुलिस ने आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया था और पुलिस ने उसके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की थी।

12— साक्षी पंचमसिंह अ.सा.05 ने कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। उसके सामने आरोपीगण ने पुलिस को पूछताछ के दौरान कोई कथन नहीं दिये थे। दिनांक 12.04.2012 को वह थाना गया था, मेजर के कहने पर मेमोरेन्डम कथन प्र.पी.03 एवं प्र.पी.04 पर हस्ताक्षर किया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसका कोई बयान नहीं लिया था। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि वह कक्षा 12वीं तक पढ़ा—लिखा है। वह पढ़ना—लिखना जानता है। यह स्वीकार किया है कि प्र.पी.03 का मेमोरेन्डम कथन जिस पर वह हस्ताक्षर किया है यह उल्लेख है कि वह अमरसिंह परते साथी पुनूलाल के साथ मिलकर दिनांक 08.04.2012

को रात्रि करीब 8:00 बजे शंभू गोंड के कछार बाड़ी में रखे वाटर पम्प चोरी कर ग्राम बड़गांव के कन्हैया मेरावी के घर के पीछे जंगल में छिपाकर बेचने हेतु रखा है, चलो चलकर निकाल कर देता हूँ, कथन दे रहा है, का उल्लेख है।

- साक्षी पंचमसिंह अ.सा.05 ने अभियोजन के इन सुझावों को भी 13-अस्वीकार किया है कि पुलिस को उसके समक्ष आरोपी अमरसिंह ने प्र.पी.03 का मेमोरेन्डम कथन दिया था, उसके बाद उसने उस पर हस्ताक्षर किया था, आरोपी पुनूलाल ने प्र.पी.04 का अ से अ भाग का कथन दिया था, उसके बाद फिर उसने हस्ताक्षर किया था। साक्षी के अनुसार प्र.पी.04 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। यह अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्र.पी.08 का कथन दिया था। यह स्वीकार किया है कि वह गलत कार्यवाही में हस्ताक्षर नहीं करता है। यह अस्वीकार किया है कि उक्त कार्यवाही उसके समक्ष हुई थी, इसलिये हस्ताक्षर की महत्ता को जानते हुए दस्तावेजों में हस्ताक्षर किया था। यह अस्वीकार किया है कि वह आरोपीगण से मिल गया है, इसलिये वह उसके समक्ष हुई कार्यवाही के बारे में सही बात नहीं बता रहा है। यह अस्वीकार किया है कि प्र.पी.04 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मेमोरेन्डम कथन प्र.पी.03 पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिया था तथा उसके समक्ष आरोपीगण ने पुलिस को कथन नहीं दिया था।
- 14— साक्षी दयाराम अ.सा.०७ ने कहा है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। घटना करीब दो साल पूर्व ग्राम कटंगी की है। उसे बाद में पता चला कि शंभुसिंह के यहां पम्प चोरी हो गया था, किसने चोरी किया वह नहीं जानता है। इसके अलावा उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं

है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया कि वह यह नहीं बता सकता कि घटना दिनांक 09.04.2012 की है। यह अस्वीकार किया है कि सुबह नौ बजे उसके खेत कछार तरफ गया था, तो पड़ौसी शंभुसिंह उसे आकर बोला कि उसका वाटर पंप नहीं दिख रहा है, शायद चोरी हो गया है। यह अस्वीकार किया है कि शंभुसिंह के साथ ढूंढने पर जब पंप नहीं मिला तो शंभुसिंह ने उससे कहा कि बाहीटोला का पुन्नु ढीमर इधर बैल भगाते आया था, जिसके बाद रात को घर आकर सो गया परंतु सुबह देखने पर वाटर पंप नहीं मिला। यह अस्वीकार किया है कि शंभुसिंह ने उसे कहा था कि पुन्नु ढीमर ने चोरी किया होगा। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.08 पुलिस को न देना व्यक्त किया।

15— साक्षी जेनेन्द्र अ.सा.08 ने कहा है कि वह दिनांक 11.04.2012 को थाना मलाजखंड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा प्रार्थी शंभुसिंह की मौखिक सूचना पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक 51/12 अंतर्गत धारा—379 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध किया था, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। रिपोर्ट में प्रार्थी शंभुसिंह द्वारा उसके खेत से वाटर पंप करीब 20,000/—रुपये कीमत का अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी करना बताया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि शंभुसिंह ने अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध चोरी की रिपोर्ट लिखवाई थी, प्रार्थी शंभुसिंह ने वाटर पंप रसीद पेश नहीं किया था। साक्षी के अनुसार अनुमानित कीमत बताया था। यह स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते समय गवाहों के नाम लेखबद्ध नहीं किया था।

क्रमांक-342/12

फा.नंबर-234503003022012

साक्षी रामकिशोर अ.सा.०६ ने कहा है कि वह दिनांक 16-11.04.2012 को थाना मलाजखण्ड़ में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक 51/12 धारा-379 भा.दं0सं0 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उक्त दिनांक को ही घटनास्थल ग्राम जमुनिया नदी के किनारे जाकर गवाहों के समक्ष घटनास्थल का मौका—नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। बाद संदेही अमरसिंह, पुन्नुलाल, से पूछताछ कर मेमोरेण्डम गवाह पंचमसिंह, कुवरसिंह , संभूसिंह के समक्ष तैयार किया था, जो प्र.पी.03 तथा 04 है, जिनके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जिन्होंने घटना दिनांक को वाटर मोटर पंप फील्ड मार्शल माडल नम्बर 70 एच.एस.एफ.एम. -3.एच.पी का पीले रंग का, इंजन नम्बर ई.डी.4098, सीरियल नम्बर एस.एन. 90793 चोरी कर बड़गांव में कन्हैया मरावी के घर के पीछे जंगल में छुपाकर रखना कबूल किया, जो मेमोरेन्डम गवाह पंचमसिंह, एवं कुवरसिंह के समक्ष तैयार किया था। बाद आरोपी अमरसिंह की निशादेही पर उक्त स्थान से एक वाटर पंप उपरोक्त नम्बर का उक्त गवाहों के समक्ष जप्त किया था, जो प्र.पी.05 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बाद आरोपी अमरसिंह एवं पुन्नुलाल को गवाह कुंवरसिंह तथा महादेव के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.06 तथा 07 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय में पेश किया गया। उसके द्वारा गवाह दयाराम, पंचमसिंह, कन्हैयालाल, कुवरसिंह, महादेव, सम्भूसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

17— साक्षी रामकिशोर अ.सा.06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्रार्थी संभूसिंह घटना की रिपोर्ट

करने घटना दिनांक के दूसरे दिन आया था, प्रार्थी संभूसिंह ने मौका—नक्शा घटनास्थल उसी दिनांक को बता दिया था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि प्रार्थी ने मोटर पंप किस स्थान से चोरी हुआ था यह नहीं बताया था, उसने घटनास्थल का मौका—नक्शा थाने में ही संभूसिंह के बताये अनुसार बनाया था। यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी ने उसे घटनास्थल की सड़क एवं अन्य स्थान से दूरी नहीं बताया था, इसलिए उसने दर्ज नहीं किया है। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने मेमोरेन्डम गवाहों के समक्ष नहीं बनाया था, उसने घटनास्थल से गवाहों के समक्ष कुछ जप्त न कर थाने में ही जप्ती की कार्यवाही की थी, उसने अभियुक्तगण को गवाहों के समक्ष गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक तैयार नहीं किया था, गवाहों के बयान उनके बताये अनुसार लेख न कर अपने मन से लेख किया था। यह स्वीकार किया है कि उसने गवाहों के कथन किस दिनांक को लेख किया था उसका उल्लेख नहीं है। साक्षी के अनुसार पंचमसिंह के कथन में उल्लेख है। यह अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रार्थी से मिलकर प्रकरण में अभियुक्तगण को झूटा फंसाने के लिए कार्यवाही की गई है।

18— प्रकरण में मेमोरेन्डम तथा जप्ती के साक्षी पूर्णतः पक्षद्रोही रहे हैं तथा अभियोजन द्वारा जप्ती मात्र आरोपी अमरसिंह से दर्शित की गई है। अभियुक्तगण को चोरी करते हुए किसी व्यक्ति ने नहीं देखा है तथा प्रकरण में रोजनामचा सान्हा भी प्रस्तुत नहीं है। प्रकरण में आरोपी पुन्नुलाल के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है तथा विवेचना अधिकारी की साक्ष्य संपुष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में चोरी की गई संपत्ति अभियुक्तगण के आधिपत्य में दर्शित नहीं है, जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी संभुसिंह का एक नग फील्ड मार्शल कंपनी का पीले रंग का वाटर पम्प,

क्रमांक-342/12

फा.नंबर-234503003022012

इंजन नंबर ई.डी.4098 तीन हार्स पावर का कीमत करीब 20,000/— रुपये को फरियादी की सम्मित के बिना बेईमानी से ले जाने के आशय से हटाकर चोरी कारित की। फलतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—379/34 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 19— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति सुपुर्दनामा पर दी गई है। उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात सुपुर्ददार के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।
- 20- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 21— अभियुक्तगण अभिरक्षा में नहीं रहे है, इस संबंध में धारा—428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / –

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.) सही / –

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)